**Haryana State Legal Services Authority News cutting**

# In one day, National Lok Adalat settles over 7L cases

TRIBUNE NEWS SERVICE

CHANDIGARH, SEPTEMBER 12

The National Lok Adalat in Haryana on Saturday marked a historic milestone, recording the highest-ever figures in terms of cases settled. As many as 8.82 lakh cases were taken up across the state and over 7 lakh cases were settled. A total of Rs 7,873.78 crore was settled or awarded. Most of the cases were cheque bounce disputes and those relating to motor accident claims.

A total of 184 Benches were constituted across the state to take up pre-litigation and pending matters, including civil disputes, bank recovery matters and compoundable criminal offences.

It was the third National Lok Adalat of the year. Justice Harsimran Singh Sethi, Executive Chairman, Haryana State Legal Services Authority, virtually interacted with some of the Benches and reviewed the proceedings. Later, he visited the District Courts, Panchkula, and interacted with litigants.

Overall, 3.56 lakh cases were disposed of at the pre-litigation stage while 3.43 lakh were disposed of pending trial. In Gurugram, Rs 15.7 crore was awarded/settled; and in Faridabad, Rs 19.5 crore was awarded/settled.

**District legal Services Authority Panchkula**

सच की आवाज... जनता के साथ...
दिव्य भारत NEWS
हर खबर, आपके लिए
दैनिक समाचार पत्र
रविवार, दिनांक 13 सितंबर 2026,चंडीगढ़/पंचकूला से एक साथ प्रसारित,RN.SRN.AA5901109

# पंचकूला के ज़िला कोर्ट कॉम्प्लेक्स और कालका के सब-डिविज़नल कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

**राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 31,185 मामलों पर सुनवाई हुई, जिनमें से 25,421 मामलों का निपटारा किया गया। इन मामलों में कुल 93,34,669 रुपये का समझौता हुआ।**

पंचकूला (सुरिंदर चौहान) हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (हलसा) की देखरेख में आज सेक्टर 1, पंचकूला स्थित ज़िला कोर्ट कॉम्प्लेक्स और कालका स्थित सब-डिविज़नल कोर्ट कॉम्प्लेक्स में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए पंचकूला और कालका में कुल आठ बेंच बनाई गई थीं। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन, जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी ने राष्ट्रीय लोक अदालत के कामकाज का व्यक्तिगत रूप से जायज़ा लेने के लिए पंचकूला ज़िला कोर्ट कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। उनके साथ हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव श्री जगदीप लोहान भी मौजूद थे। उन्होंने, हलसा के सदस्य सचिव श्री जगदीप लोहान और डीएलएसए, पंचकूला के चेयरमैन-सह-ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश श्री संजय संधीर के साथ लोक अदालत की बेंचों का दौरा किया और पीठासीन अधिकारियों तथा बेंचों के सामने पेश होने वाले पक्षकारों से बातचीत की। उन्होंने लोक अदालत के माध्यम से विवादों के त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।पंचकूला की एसीजेएम सुश्री कीर्ति वशिष्ठा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान सभी प्रकार के समझौता-योग्य मामलों और लोक अदालत के माध्यम से सुलझाए जा सकने वाले अन्य मामलों (जिनमें लंबित मामले और मुकदमे-पूर्व मामले शामिल हैं) पर विचार किया गया। पक्षकारों को अपने विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए प्रोत्साहित किया गया, ताकि कीमती समय और पैसे की बचत हो सके और लंबे समय तक चलने वाले मुकदमों से बचा जा सके। राष्ट्रीय लोक अदालत में वादियों, वकीलों और अन्य हितधारकों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। कार्यवाही में विधिक सेवा प्राधिकरणों के मूल उद्देश्य की झलक मिली, जो समाज के सभी वर्गों को त्वरित, सुलभ और किफायती न्याय प्रदान करना है। राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 31,185 मामलों पर सुनवाई हुई, जिनमें से 25,421 मामलों का निपटारा किया गया। इन मामलों में कुल 93,34,669 रुपये का समझौता हुआ।

---



# पंचकूला के ज़िला कोर्ट कॉम्प्लेक्स और कालका के सब-डिविजनल कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

**राष्ट्रीय लोक अदालत के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए पंचकूला और कालका में कुल आठ बेंच बनाई गई**

दिशा मार्ग ब्यूरो

पंचकूला : हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (हलसा) की देखरेख में आज सेक्टर 1, पंचकूला स्थित ज़िला कोर्ट कॉम्प्लेक्स और कालका स्थित सब-डिविजनल कोर्ट कॉम्प्लेक्स में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए पंचकूला और कालका में कुल आठ बेंच बनाई गई थीं। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन, जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी ने राष्ट्रीय लोक अदालत के कामकाज का व्यक्तिगत रूप से जायजा लेने के लिए पंचकूला ज़िला कोर्ट कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। उनके साथ हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव श्री जगदीप लोहान भी मौजूद थे। उन्होंने, हलसा के सदस्य सचिव श्री जगदीप लोहान और डीएलएसए , पंचकूला के चेयरमैन-सह-ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश श्री संजय संधीर के साथ लोक अदालत की बेंचों का दौरा किया और पीठासीन अधिकारियों तथा बेंचों के सामने पेश होने वाले पक्षकारों से बातचीत की। उन्होंने लोक अदालत के माध्यम से विवादों के त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। पंचकूला की एसीजेएम सुश्री कीर्ति वशिष्ठा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान सभी प्रकार के समझौता-योग्य मामलों और लोक अदालत के माध्यम से सुलझाए जा सकने वाले अन्य मामलों (जिनमें लंबित मामले और मुकदमे-पूर्व मामले शामिल हैं) पर विचार किया गया। पक्षकारों को अपने विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए प्रोत्साहित किया गया, ताकि कीमती समय और पैसे की बचत हो सके और लंबे समय तक चलने वाले मुकदमों से बचा जा सके। राष्ट्रीय लोक अदालत में वादियों, वकीलों और अन्य हितधारकों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। कार्यवाही में विधिक सेवा प्राधिकरणों के मूल उद्देश्य की झलक मिली, जो समाज के सभी वर्गों को त्वरित, सुलभ और किफायती न्याय प्रदान करना है। राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 31,185 मामलों पर सुनवाई हुई, जिनमें से 25,421 मामलों का निपटारा किया गया। इन मामलों में कुल 93,34,669 रुपये का समझौता हुआ।

---

# मुकदमेबाजी से सुलह तकः राष्ट्रीय लोक अदालत में वैवाहिक विवाद का सुखद अंत

हरियाणा/चंडीगढ़।

12 सितंबर (वासु कृष्ण मेहता ग्रुप एडिटर प्रमुख): न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी, न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (हालसा) के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में पूरे हरियाणा राज्य में इस वर्ष की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई। यह राष्ट्रीय लोक अदालत हरियाणा के सभी 22 जिलों और 38 उप-मंडलों में आयोजित की गई। आज की राष्ट्रीय लोक अदालत को अभूतपूर्व प्रतिक्रिया मिली और इसने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, जिसमें सुलझाए गए मामलों की संख्या अब तक की सबसे अधिक रही। 6,75,000 से ज्यादा मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया।

लोक अदालत के माध्यम से लोगों में बदलाव लाने की क्षमता का दिल को छू लेने वाला उदाहरण जिला हिसार से सामने आया, जहाँ परिवार न्यायालय में पति-पत्नी के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद को आपसी सहमति से शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया गया। लोक अदालत पीठ के अथक प्रयास और परामर्श के जरिए, दोनों पक्षों को अपने मतभेद सुलझाने और रिश्ते में फिर से तालमेल बिठाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। एक भावुक पल में, दोनों पक्षों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाई और आपसी समझ और तालमेल के साथ अपना पारिवारिक जीवन फिर से शुरू करने की इच्छा जताई। यह समझौता दिखाता है कि राष्ट्रीय लोक अदालत सिर्फ मामलों को निपटाने से कहीं आगे बढ़कर, बातचीत, परामर्श, सुलह और आपसी सहमति के जरिए रिश्तों को फिर से जोड़ सकती है, परिवारों को बचा सकती है और मुकदमा लड़ने वालों की जिंदगी में नई उम्मीद और शांति ला सकती है।

राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति एक प्रतीकात्मक कदम के तौर पर एवं पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी ने पंचकूला में हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रशासनिक भवन में पौधारोपण किया।



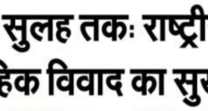

राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान, न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी ने राज्य भर की कुछ लोक अदालत पीठों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत की और कार्यवाही का जायजा लिया। न्यायमूर्ति सेठी ने इस बात पर भी जोर दिया कि आपसी सहमति, सार्थक बातचीत, सुलह और समझौते के माध्यम से विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए ईमानदारी के साथ ठोस प्रयास किए जाने चाहिए।

इसके बाद, न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी ने पंचकूला की जिला न्यायालय का दौरा किया और व्यक्तिगत रूप से लोक अदालत पीठों का निरीक्षण किया, साथ ही उन्होंने वादकारियों से बातचीत की और लोक अदालत पीठों की कार्यवाही की समीक्षा की।

राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों का बड़े पैमाने पर निपटारा, हालसा के कार्यकारी अध्यक्ष की मिली-जुली कोशिशों और लगातार मार्गदर्शन का नतीजा था। उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के अध्यक्षों एवं सचिवों को राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया, जिसमें सही मामलों की पहचान, लोक अदालत से पहले की बैठकें, हितधारकों के साथ असरदार तालमेल और ज्यादा से ज्यादा जन-जागरूकता अभियान आदि शामिल थे। राष्ट्रीय लोक अदालत से पहले न्यायमूर्ति सेठी ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के अध्यक्षों, सचिवों और अन्य न्यायिक अधिकारियों के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तथा उनकी तैयारियों और प्रगति की समीक्षा की और उन्हें पूरी प्रतिबद्धता, कुशलता और समर्पण दिखाने और आपसी सहमति से समझौता कराने की हर मुमकिन कोशिश करने के लिए प्रेरित किया।

राष्ट्रीय लोक अदालत (जिसमें लोक अदालत से पूर्व बैठकें भी शामिल थीं), में कई तरह के विवादों से जुड़े मामलों का बड़ी संख्या में निपटारा किया गया। वादकारियों के जबरदस्त उत्साह से पता चलता है कि विवादों को सुलझाने के वैकल्पिक और असरदार तरीके के तौर पर लोक अदालत के सिस्टम में लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। लोक अदालत में हुए समझौतों से न सिर्फ वादकारियों का कीमती समय और मुकदमेबाजी का खर्च बचा, बल्कि हरियाणा भर की अदालतों में लंबित मामलों की संख्या कम करने में भी काफी मदद मिली। राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान लगभग 78,44,79,92,903 रुपये की राशि का भुगतान एवं निपटारा किया गया।

राष्ट्रीय लोक अदालत के कुशल आयोजन के लिए, राज्य भर में कुल 184 लोक अदालत पीठें बनाई गईं, ताकि मुकदमे से पहले और लंबित मामलों - जैसे कि सिविल विवाद, वैवाहिक मामले, मोटर दुर्घटना क्लेम के मामले, बैंक रिकवरी के मामले, एन0आई0 एक्ट के तहत चेक बाउंस के मामले, ट्रैफिक चालान और समझौता-योग्य आपराधिक मामलों - पर सुनवाई की जा सके।

---

# पंचकूला के ज़िला कोर्ट कॉम्प्लेक्स और कालका के सब-डिविज़नल कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

**देश प्यार**, पंचकूला 12 सितंबर: हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (हलसा) की देखरेख में आज सेक्टर 1, पंचकूला स्थित ज़िला कोर्ट कॉम्प्लेक्स और कालका स्थित सब-डिविजनल कोर्ट कॉम्प्लेक्स में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।राष्ट्रीय लोक अदालत के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए पंचकूला और कालका में कुल आठ बेंच बनाई गई थीं।हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन, जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी ने राष्ट्रीय लोक अदालत के कामकाज का व्यक्तिगत रूप से जायजा लेने के लिए पंचकूला ज़िला कोर्ट कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। उनके साथ हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव श्री जगदीप लोहान भी मौजूद थे।उन्होंने, हलसा के सदस्य सचिव श्री जगदीप लोहान और डीएलएसए , पंचकूला के चेयरमैन-सह-ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश श्री संजय संधीर के साथ लोक अदालत की बेंचों का दौरा किया और पीठासीन अधिकारियों तथा बेंचों के सामने पेश होने वाले पक्षकारों से बातचीत की। उन्होंने लोक अदालत के माध्यम से विवादों के त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।पंचकूला की एसीजेएम सुश्री कीर्ति वशिष्ठा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान सभी प्रकार के समझौता-योग्य मामलों और लोक अदालत के माध्यम से सुलझाए जा सकने वाले अन्य मामलों (जिनमें लंबित मामले और मुकदमे-पूर्व मामले शामिल हैं) पर विचार किया गया। पक्षकारों को अपने विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए प्रोत्साहित किया गया, ताकि कीमती समय और पैसे की बचत हो सके और लंबे समय तक चलने वाले मुकदमों से बचा जा सके।राष्ट्रीय लोक अदालत में वादियों, वकीलों और अन्य हितधारकों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। कार्यवाही में विधिक सेवा प्राधिकरणों के मूल उद्देश्य की झलक मिली, जो समाज के सभी वर्गों को त्वरित, सुलभ और किफायती न्याय प्रदान करना है। राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 31,185 मामलों पर सुनवाई हुई, जिनमें से 25,421 मामलों का निपटारा किया गया। इन मामलों में कुल 93,34,669 रुपये का समझौता हुआ।

# 22 जिलों और 38 उप-मंडलों में लगी राष्ट्रीय लोक अदालत, 6,75,000 से ज्यादा मामलों का हुआ निपटारा

## मुकदमेबाजी से सुलह तक: राष्ट्रीय लोक अदालत में वैवाहिक विवाद का सुखद अंत

सवेरा ब्यूरो

चंडीगढ़, 12 सितम्बर : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय न्यायाधीश-न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी एवं कार्यकारी अध्यक्ष, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (हालसा) के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में पूरे हरियाणा राज्य में इस वर्ष की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई। यह राष्ट्रीय लोक अदालत हरियाणा के सभी 22 जिलों और 38 उप-मंडलों में आयोजित की गई। शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत को अभूतपूर्व प्रतिक्रिया मिली और इसने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, जिसमें सुलझाए गए मामलों की संख्या अब तक की सबसे अधिक रही। 6,75,000 से ज्यादा मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया।

लोक अदालत के माध्यम से लोगों में बदलाव लाने की क्षमता का दिल को छू लेने वाला उदाहरण जिला हिसार से सामने आया, जहाँ परिवार न्यायालय में पति-पत्नी के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद को आपसी सहमति से शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया गया। लोक अदालत पीठ के अथक प्रयास और परामर्श के जरिए, दोनों पक्षों को अपने मतभेद सुलझाने और रिश्ते में फिर से तालमेल बिठाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। एक भावुक पल में, दोनों पक्षों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाई और आपसी समझ और तालमेल के साथ अपना पारिवारिक जीवन फिर से शुरू करने की इच्छा जताई। यह समझौता दिखाता है कि राष्ट्रीय लोक अदालत सिर्फ मामलों को निपटाने से कहीं आगे बढ़कर, बातचीत, परामर्श, सुलह और आपसी सहमति के जरिए रिश्तों को फिर से जोड़ सकती है, परिवारों को बचा सकती है और मुकदमा लड़ने वालों की जिंदगी में नई उम्मीद और शांति ला सकती है।

राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति एक प्रतीकात्मक कदम के तौर पर एवं पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी ने पंचकूला में हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रशासनिक भवन में पौधारोपण किया।

राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान, न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी ने राज्य भर की कुछ लोक अदालत पीठों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत की और कार्यवाही का जायजा लिया। न्यायमूर्ति सेठी ने इस बात पर भी जोर दिया कि आपसी सहमति, सार्थक बातचीत, सुलह और समझौते के माध्यम से विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए ईमानदारी के साथ ठोस प्रयास किए जाने चाहिए।

इसके बाद, न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी ने पंचकूला की जिला न्यायालय का दौरा किया और व्यक्तिगत रूप से लोक अदालत पीठों का निरीक्षण किया, साथ ही उन्होंने वादकारियों से बातचीत की और लोक अदालत पीठों की कार्यवाही की समीक्षा की।

राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों का बड़े पैमाने पर निपटारा, हालसा के कार्यकारी अध्यक्ष की मिली-जुली कोशिशों और लगातार मार्गदर्शन का नतीजा था। उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के अध्यक्षों एवं सचिवों को राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया, जिसमें सही मामलों की पहचान, लोक अदालत से पहले की बैठकें, हितधारकों के साथ असरदार तालमेल और ज्यादा से ज्यादा जन-जागरूकता अभियान आदि शामिल थे। राष्ट्रीय लोक अदालत से पहले न्यायमूर्ति सेठी ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के अध्यक्षों, सचिवों और अन्य न्यायिक अधिकारियों के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तथा उनकी तैयारियों और प्रगति की समीक्षा की और उन्हें पूरी प्रतिबद्धता, कुशलता और समर्पण दिखाने और आपसी सहमति से समझौता कराने की हर मुमकिन कोशिश करने के लिए प्रेरित किया।

राष्ट्रीय लोक अदालत (जिसमें लोक अदालत से पूर्व बैठकें भी शामिल थीं), में कई तरह के विवादों से जुड़े मामलों का बड़ी संख्या में निपटारा किया गया। वादकारियों के जबरदस्त उत्साह से पता चलता है कि विवादों को सुलझाने के वैकल्पिक और असरदार तरीके के तौर पर लोक अदालत के सिस्टम में लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। लोक अदालत में हुए समझौतों से न सिर्फ वादकारियों का कीमती समय और मुकदमेबाजी का खर्च बचा, बल्कि हरियाणा भर की अदालतों में लंबित मामलों की संख्या कम करने में भी काफी मदद मिली। राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान लगभग 78,44,79,92,903 रुपये की राशि का भुगतान एवं निपटारा किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के कुशल आयोजन के लिए, राज्य भर में कुल 184 लोक अदालत पीठें बनाई गईं, ताकि मुकदमे से पहले और लंबित मामलों - जैसे कि सिविल विवाद, वैवाहिक मामले, मोटर दुर्घटना क्लेम के मामले, बैंक रिकवरी के मामले, एन0 आई0 एक्ट के तहत चेक बाउंस के मामले, ट्रैफिक चालान और समझौता-योग्य अपराधिक मामलों - पर सुनवाई की जा सके।

---

प्रदेशभर में 6.75 लाख से अधिक मामलों का निपटारा...आपसी समझौतों से 7,844.79 करोड़ रुपये का भुगतान भी

# लोक अदालत में सिर्फ केस नहीं निपटा, हिसार का टूटता परिवार भी जुड़ गया

चंडीगढ़, 12 सितंबर (ट्रिब्यू)

अदालत में चल रहे हर विवाद का अंत केवल फैसले से हो, यह जरूरी नहीं। कई बार बातचीत, काउंसलिंग और आपसी समझौता उससे बड़ा समाधान बन जाता है। शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत में हिसार का एक वैवाहिक विवाद इसका भावुक उदाहरण बना। लंबे समय से विवाद और अलगाव की स्थिति में रहे पति-पत्नी ने लोक अदालत की पीठ की काउंसलिंग के बाद अपने मतभेद दूर किए और दोबारा साथ पारिवारिक जीवन शुरू करने की इच्छा जताई।

इसी तरह समझौतों और बड़े पैमाने पर मामलों के निपटारे के बीच प्रदेश के सभी 22 जिलों और 38 उप-मंडलों में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई। इसमें 6.75 लाख से अधिक मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया। समझौतों के तहत करीब 7,844.79 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान एवं निपटारा हुआ।

पंचकूला में हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से लगी लोक अदालत में सुनवाई करते अधिकारी -ट्रिब्यू

### हिसार का मामला बना पहचान

हिसार परिवार न्यायालय में पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। लोक अदालत की पीठ ने दोनों पक्षों से बातचीत और परामर्श के जरिए मतभेद दूर करने का प्रयास किया। दोनों को आपसी तालमेल कायम करने और विवाद के बजाय परिवार को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया गया। बातचीत का असर हुआ और दोनों पक्ष समझौते पर सहमत हो गए। इसके बाद पति-पत्नी ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाई और साथ जीवन शुरू करने का फैसला किया। राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए प्रदेशभर में 184 पीठ गठित की गई थी। इनमें मुकदमे से पहले के मामले के साथ अदालतों में लंबित मामलों की भी सुनवाई हुई।

### लोक अदालत से पहले शुरू हो गई थी तैयारी

बड़े पैमाने पर मामलों के निपटारे के पीछे शनिवार की सुनवाई से पहले की तैयारियां भी अहम रहीं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों ने ऐसे मामलों की पहचान की, जिनमें समझौते की संभावना थी। लोक अदालत से पहले पक्षकारों के बीच बैठकें कराई गईं और संबंधित हितधारकों के साथ समन्वय किया गया। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष एवं पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी ने तैयारियों की लगातार समीक्षा की। राष्ट्रीय लोक अदालत से पहले जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के अध्यक्षों, सचिवों और न्यायिक अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठकें की गईं। इनमें ज्यादा से ज्यादा मामलों को आपसी सहमति से निपटाने पर जोर दिया गया।

### पंचकूला में पौधारोपण के बाद अदालतों का निरीक्षण

राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन न्यायमूर्ति सेठी ने पंचकूला स्थित हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रशासनिक भवन में पौधारोपण किया। इसके बाद उन्होंने राज्य की कुछ लोक अदालत पीठों से वर्चुअल माध्यम से बातचीत कर कार्यवाही का जायजा लिया। बाद में उन्होंने पंचकूला जिला न्यायालय का दौरा किया और लोक अदालत की पीठों का निरीक्षण किया। उन्होंने वादकारियों से बातचीत कर कार्यवाही की समीक्षा की। न्यायमूर्ति सेठी ने विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए आपसी सहमति, सार्थक बातचीत, सुलह और समझौते के जरिए ईमानदार प्रयास जारी रखने पर जोर दिया।

# Over 25,000 cases disposed of at Panchkula Lok Adalats

TRIBUNE NEWS SERVICE

PANCHKULA, SEPTEMBER 12

As many as 25,421 cases were disposed of during the National Lok Adalats held at the District Courts Complex here and the Sub-Divisional Court Complex, Kalka.

A total of 31,185 cases were taken up, with a total settlement amount of around Rs 93.34 lakh.

Eight benches were constituted across the two complexes for the Lok Adalat, held under the aegis of the Haryana State Legal Services Authority. All types of compoundable matters and other cases legally amenable to settlement, including pending litigation and pre-litigation disputes, were taken up, with parties encouraged to resolve disputes amicably and avoid prolonged litigation.

**Over 21K settled in Mohali**

Meanwhile, 21,873 cases were settled during the National Lok Adalat in Mohali. A total of 26,836 cases were taken up on the occasion.

As many as 18 benches were constituted to settle the cases.

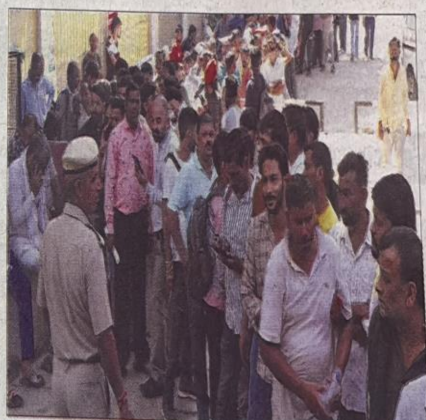

People wait in a long queue for their hearing during the National Lok Adalat in Panchkula. RAVI KUMAR

## पंचकूला

फतेहपुर ◆ हरिपुर ◆ मदनपुर ◆ रामगढ़ ◆ चंडी मंदिर ◆ अमरावती ◆ सुरजपुर ◆ ईशर नगर ◆ ए

# राष्ट्रीय लोक अदालत में 25,421 मामलों का किया गया निपटारा

■ पंचकूला और कालका में आठ बेंचों ने की सुनवाई, 31,185 मामलों पर हुई कार्रवाई

सवेरा न्यूज/ संतोष

पंचकूला, 12 सितंबर : हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (हलसा) की देखरेख में शनिवार को सेक्टर-1 स्थित जिला कोर्ट कॉम्प्लेक्स पंचकूला और कालका सब-डिविजनल कोर्ट कॉम्प्लेक्स में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। दोनों स्थानों पर लोक अदालत की कार्यवाही के लिए कुल आठ बेंच गठित की गई थीं। हलसा के चेयरमैन जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी ने पंचकूला जिला कोर्ट परिसर पहुंचकर लोक अदालत की कार्यवाही का जायजा लिया। उनके साथ हलसा के सदस्य सचिव जगदीप लोहान और डीएलएसए पंचकूला के चेयरमैन-सह-जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय संधीर भी मौजूद रहें। एसीजेएम कीर्ति वशिष्ठा ने बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य लंबित मामलों के साथ मुकदमे-पूर्व मामलों की भी सुनवाई की गई। पक्षकारों को आपसी सहमति से विवादों का समाधान करने के लिए प्रेरित किया गया, जिससे समय और धन की बचत हो सके। राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 31,185 मामलों की सुनवाई हुई, जिनमें से 25,421 मामलों का निपटारा किया गया। इन मामलों में कुल 93,34,669 रुपये का समझौता हुआ। वकीलों, वादियों और अन्य हितधारकों ने भी लोक अदालत में सक्रिय भागीदारी की।

पंचकूला जिला कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत की कार्यवाही का जायजा लेते जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी, जगदीप लोहान और जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय संधीर।